राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1220/2017

गजेन्द्र कुमार व्यास **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. परियोजना निदेशक, राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई–एम पावर (पश्चिमी राजस्थान में गरीबी उन्मूलन) पावटा सी रोड़, जोधपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 05.09.2017
आदेश की दिनांक : 09.05.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री उम्मेद सिंह तंवर, अभिभाषक
प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री जगन्नाथ खण्डप्पा, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी संख्या 2 के द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.04.2015 को निरस्त किया जावे तथा अपीलार्थी से उक्त आदेश की पालना में कोई वसूली नहीं की जावे।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने कथन किया है कि अपीलार्थी वर्तमान में सेवानिवृत्त हो चुका है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा राज्य परियोजना प्रबंधन ईकाई एम पावर में नोडल अधिकारी/जनरल मैनेजर के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु योग्य एवं अनुभवी अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति पर चयन हेतु विज्ञप्ति जारी की, जिसमें अपीलार्थी ने भी आवेदन किया तथा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के परियोजना निदेशक द्वारा अपीलार्थी को महाप्रबंधक के पद पर वेतनमान 10000–325–15200 संशोधित पीबी–3 15600–39100 ग्रेड पे 6600 में प्रतिनियुक्ति पर चयन करके पदस्थापन किया गया, जिसकी पालना में अपीलार्थी को परियोजना एम पावर, जोधपुर के लिए कार्यमुक्त किया गया। अपीलार्थी के द्वारा कार्यग्रहण करने के पश्चात् आदेश दिनांक 27.08.2009 के द्वारा अपीलार्थी का वेतन स्थिरीकरण किया गया, जिसमें पीबी–3 15600–39100 ग्रेड पे 6600 में वेतन निर्धारण किया गया। उसके पश्चात् आदेश दिनांक 06.07.2012 के द्वारा अपीलार्थी की वेतन श्रृंखला को कम किया गया,

जिसके विरूद्ध अपीलार्थी ने दिनांक 06.07.2012 को ही परियोजना निदेशक को विस्तृत रूप से अभ्यावेदन प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी को बिना सुनवाई का अवसर दिए उक्त आदेश पारित किया गया तथा वेतन वृद्धियां स्वीकृत नहीं की गई। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 8155/2012 प्रस्तुत की, जिस पर माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 21.05.2014 को उक्त रिट याचिका को निस्तारित करते हुए निर्देश दिया कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग को 15 दिवस में एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करे तथा जिसका प्रत्यर्थी विभाग दो माह में निस्तारण करें, जिसकी पालना में अपीलार्थी ने दिनांक 05.06.2014 को विस्तृत रूप से अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया, जिस पर पत्रावली को वित्त विभाग द्वारा परीक्षण किया गया, जिसमें अंकित किया गया कि राजस्थान सेवा नियम, 1951 के नियम 144ए में निर्धारित प्रतिनियुक्ति शर्ते राज्य कर्मचारियों के किसी वैदेशिक सेवा में प्रतिनियुक्ति पर लागू होती हैं उक्त शर्त किसी अन्य बोर्ड/कॉर्पोरेशन संस्था के कर्मचारी की राज्य सरकार में प्रतिनियुक्ति पर लागू नहीं होती हैं। उक्त तथ्यों के बावजूद आलोच्य आदेश दिनांक 17.04.2015 (अनुलग्नक–30) के द्वारा अपीलार्थी के अभ्यावेदन को अवैद्य एवं अनुचित रूप से राजस्थान सेवा नियम, 1951 के नियम संख्या 144ए (7)(क) के अनुसार अपीलार्थी का साधारण प्रतिनियुक्ति मानते हुए वसूली के आदेशों को उचित मानते हुए वसूली के आदेश को यथावत रखा।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का आगे कथन है कि अपीलार्थी को साधारण प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापन नहीं किया गया था बल्कि अपीलार्थी का प्रतिनियुक्ति पर विज्ञप्ति के माध्यम से आवेदन करने के पश्चात् चयन करके पदस्थापन किया गया था तथा नियमानुसार जिस पद पर अपीलार्थी का चयन किया गया है उसी पद का अपीलार्थी कार्य करने के कारण जो वेतन निर्धारण किया गया था, वही प्राप्त करने का अधिकारी है न कि अपीलार्थी अपने मूल पद का वेतन प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रत्यर्थी विभाग ने जिस पद पर अपीलार्थी का चयन हुआ था तथा जिस पद पर कार्य किया था, उस पद का वेतन नहीं देकर अपने मूल पद का वेतन दे रहे हैं जबकि नियमानुसार कर्मचारी जिस पद का कार्य कर रहा है, उसी पद का वेतन प्राप्त करने का अधिकारी है।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी संख्या 2 के द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.04.2015 को निरस्त किया जावे तथा अपीलार्थी से उक्त आदेश की पालना में कोई वसूली नहीं की जावे।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी को प्रतिनियुक्ति पर वेतन चार वर्ष तक ही प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापन रखा जा सकता था। उसके पश्चात् पैतृक विभाग में देय वेतनमान पीबी–2 वेतन श्रृंखला में वेतन नियत किया गया है और उचित एवं वैद्य है तथा राजस्थान सेवा नियम, 1951 के नियम 144ए (7) के अनुसार प्रतिनियुक्ति चार वर्ष से अधिक नहीं हो सकती है। इसलिए विभाग द्वारा जो आलोच्य आदेश जारी किया गया है, वह नियमानुसार जारी आदेश है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावे।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान अधिकरण के समक्ष कार्मिक विभाग की नोटशीट की प्रति प्रस्तुत की है, जिसमें दिनांक 23.02.2015 को पैरा संख्या 2 में यह अंकित किया है कि राजस्थान सेवा नियम, 1951 के नियम 144ए के प्रावधान विशेष चयन से प्रतिनियुक्ति कर्मचारी पर लागू नहीं होते हैं। जिन विशेष चयन नियम के तहत चयन किया गया है उसके प्रावधानों के अनुसार प्रकरण का परीक्षण किया जावे। उक्त कथनों के समर्थन में माननीय उच्च न्यायालय का अशोक कुमार रतीलाल पटेल बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया का निर्णय प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार साधारण प्रतिनियुक्ति व प्रतिनियुक्ति पर चयन को परिभाषित किया गया है। प्रतिनियुक्ति पर चयन को चयन पर वो प्रावधान लागू नहीं होते हैं, जो साधारण प्रतिनियुक्ति पर लागू होते हैं। इसलिए अपीलार्थी का विशेष चयन होने के कारण अपीलार्थी उसी पद का वेतन प्राप्त करने का अधिकारी है।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण को ध्यानपूर्वक सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी का ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की विज्ञप्ति दिनांक 11.12.2008 के तहत प्रतिनियुक्ति पर विशेष चयन किया गया था तथा अपीलार्थी का विशेष चयन के माध्यम से ही ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग परियोजना प्रबंधक ईकाई एम पावर में नोडल अधिकारी/जनरल मैनेजर के पद पर विशेष चयन करने पर पदस्थापन किया गया था। अनुलग्नक–27 के पृष्ठ संख्या 77 पर अंकित अवलोकन से प्रकट होता है कि अपीलार्थी राजस्थान राज्य सहकारी संघ, जयपुर में (पैतृक विभाग) वेतन श्रृंखला 5500–9000 में कार्यरत था। आवेदन पत्र में अपनी वेतन श्रृंखला 8000–13500 दर्शायी गई, जो डी.पी.आई.पी. परियोजना में पदस्थापित अवधि का वेतनमान था, जबकि पैतृक विभाग में 5500–9000 वेतन

श्रृंखला ही थी। स्क्रूटनी कमेटी द्वारा पूर्व विशेष चयन के वेतनमान पर पुनः चयनित वेतनमान की सिफारिश किया जाना उचित नहीं था क्योंकि अपीलार्थी को अपने विभाग की वेतन श्रृंखला 5500–9000 से 5 उच्च वेतन श्रृंखला (6500–10500, 7500–12000, 8000–13500, 9000–14400 एवं 10000–15200) दी गई। राजस्थान सेवा नियम, 1951 के 144ए 10(4) के अनुसार ऐसे कर्मचारी जिन्हें किसी संस्था/नियमों में किसी विशिष्ट कानून अथवा नियमों के अंतर्गत निर्धारित शर्तों के आधार पर प्रतिनियुक्त किया जाए, लागू नहीं होते हैं। परंतु इस परियोजना में विशिष्ट कानून अथवा नियम ही नहीं बने हैं। अपीलार्थी वर्ष 2006 से 2009 तक जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना (डी.पी.आई.पी.) में तथा वर्ष 2009 से निरंतर एम पावर परियोजना में प्रतिनियुक्ति पर है, जबकि चार वर्ष की प्रतिनियुक्ति अवधि वर्ष 2010 तक समाप्त होने पर एम पावर परियोजना में स्वीकृत वेतनमान में नियत किया गया। पुनरीक्षित नवीन वेतनमान, 2008 के अनुसार परियोजना में माह प्रबंधक पद हेतु वेतन श्रृंखला 15600–39100 ग्रेड पे 6600 में परियोजना में कार्यग्रहण तिथि दिनांक 01.06.2009 से 26.10.2010 तक वेतन नियत किया गया और दिनांक 27.10.2010 के पश्चात् पैतृक विभाग में देय ग्रेड पे 4200 में नियत किया गया। अपीलार्थी का वेतन नियतन राजस्थान सेवा नियम 26(1) के अनुसार एवं चार वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने पर राजस्थान सेवा नियम 144ए (7)(क) के अनुसार किया गया। इस प्रकार अपीलार्थी की प्रतिनियुक्ति अवधि पूर्ण होने के उपरांत वह एम पावर परियोजना में प्रतिनियुक्ति महाप्रबंधक पद के वेतन का लाभ प्राप्त करने का हकदार प्रतीत नहीं होता है। इस प्रकार हमारे विनम्र मत में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी आलोच्य आदेश दिनांक 17.04.2015 उचित प्रतीत होता है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के एतद् द्वारा खारिज की जाती है। अधिकरण द्वारा जारी स्थगन आदेश दिनांक 28.09.2015 को पुष्टि करते हुए प्रावकाश (vacate) किया जाता है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य